



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ जालोर में उपखण्ड अधिकारी, आहोर (आर.ए.एस.) द्वारा 40 हजार रुपये रिश्वत लिये जाने के प्रकरण में उसके रीडर को भी किया गिरफ्तार

जयपुर, 02 नवम्बर / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जालोर इकाई द्वारा सोमवार को कार्यवाही करते हुये मासिंगाराम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी—आहोर, जिला जालोर को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आज उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी—आहोर के रीडर गजेन्द्र कुमार को भी प्रकरण में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि का फौतगी नामान्तकरण खोलने के संबंध में की गई अपील में पक्ष में फैसला करने की एवज में मासिंगाराम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी—आहोर, जिला जालोर द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी जालोर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम द्वारा दिनांक 1-11-2021 को ट्रैप कार्यवाही करते हुये मासिंगाराम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी—आहोर, जिला जालोर को परिवादी से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आज उपखण्ड अधिकारी—आहोर के रीडर गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल निवासी सिरोही हाल वरिष्ठ सहायक, रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी—आहोर, जिला जालोर को प्रकरण में उसकी संलिप्तता पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गजेन्द्र कुमार को बाद पूछताछ आज न्यायालय श्रीमान् ए.सी.बी. प्रकरण, पाली के समक्ष पेश किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ—साथ केन्द्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।